



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



पंचदीप भवन, सी० आई० जी० मार्ग, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02
Website : www.esic.nic.in

कार्यालय ज्ञापन/ Office Memorandum

विषय :- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन संख्या 19/116/2024-कार्मिक नीति (वेतन) (पीटी) दिनांक 14.10.2024 के अनुसरण में 1 जुलाई/1 जनवरी को केन्द्रीय सरकार की सेवा से क्रमश 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभों की गणना के प्रयोजन से सैद्धांतिक वेतनवृद्धि प्रदान करना।

Subject:- Grant of notional increment on 1st July/1st January to the employees who retired from Central Government service on 30th June/31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits in accordance with DOPT Office Memorandum no. 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay) (Pt) dated 14.10.2024.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय ने अपने कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन संख्या दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/116/2024-कार्मिक नीति (वेतन) (Pt) दिनांक 14.10.2024 को उन कर्मचारियों को 1 जुलाई/1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में प्रसारित किया है, जो 30 जून/31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, ताकि उनके पेंशन लाभ की गणना की जा सके।

ESIC, Hqrs Office vide its Office Memorandum of even no. dated 11.11.2024 has circulated the Department of Personnel & Training, Govt. of India Office Memorandum no. 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay) (Pt) dated 14.10.2024 on Grant of notional increment on 1st July/1st January to the employees who retired from Central Government service on 30th June/31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय ने अपने कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन संख्या दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/116/2024-कार्मिक नीति (वेतन) (Pt) दिनांक 20.05.2025 को भी उपरोक्त मामले पर प्रसारित किया है।

ESIC, Hqrs Office vide its Office Memorandum of even no. dated 13.06.2025 has also circulated Department of Personnel & Training, Govt. of India Office Memorandum no. 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay) (Pt) dated 20.05.2025 on the aforesaid matter also.

तथापि, उपरोक्त मामले पर विभिन्न कार्यालयों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं, यद्यपि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी/1 जुलाई से देय काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में उपरोक्त आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

However, references have been received from field offices on above matter even though aforementioned necessary instructions have been issued by DOPT, Govt of India on grant of Notional Increment due from 1st Jan/ 1st July to those who retired

on 30th June or 31st December respectively.

इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.10.2024 और 20.05.2025, जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय द्वारा पहले ही अंगीकृत कर लिया गया है और प्रसारित किया गया है, का सख्ती से पालन किया जाएगा और सभी प्रकरणों का निर्धारित समय में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

In this regard, it is clarified that the Department of Personnel and Training, Government of India's Office Memorandum dated 14.10.2024 & 20.05.2025, which have already been adopted and circulated by the ESIC Hqrs. Office, shall be strictly adhered to and all cases must be disposed of within the stipulated time frame.

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of Competent Authority.

सहायक निदेशक/Assistant Director

प्रति/ to :

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
2. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
3. सभी बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) को सूचनार्थ हेतु।
5. सभी ईएसआई अस्पताल / ईएसआई माडल अस्पताल के चिकित्सा अधिक्षक एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन को सूचनार्थ हेतु।
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ हेतु।
7. उप निदेशक, स्थापना शाखा-1 व 5, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
8. निदेशक वित्त/ उप-निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा-3)/ उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा- 4)/ रोकड़ शाखा मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
9. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया एसिक पेंशनर्स फ़ैडरेशन ।
10. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को ईएसआई कार्पोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।